

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244251
SG-DL-E-10032023-244251असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/ फाल्गुन 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 514
No. 74]	DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/ PHALGUNA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 514

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2023

सं. फा 14(69)/एलए-२०२०/dsadvice/112-120.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) अधिनियम, २०२३
(२०२३ का दिल्ली अधिनियम ०४)

4 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[9th March, 2023]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) अधिनियम, 1994 में पुनः संशोधन करने के लिए। भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा ।

- (2) यह उप-राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **धारा 3 का संशोधन :-** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 6) (इसके पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में -
- (क) उपधारा (1) में :-
- (i) "बारह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "तीस हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) "एक हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पाँच सौ रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) उपधारा (2) में "अठारह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) उपधारा (3) में "छह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) उपधारा (4) में "दस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) उपधारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात्-
- "(5) प्रत्येक कार्यकाल के लिए प्रत्येक सदस्य को लैपटॉप, व्यक्तिगत कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल हैंडसेट, इत्यादि की खरीद हेतु एकबारगी भत्ते के रूप में कुल एक लाख रुपये भुगतान किया जाएगा।"
3. **धारा 6 का संशोधन :-**मूल अधिनियम की धारा 6 में आए "आठ हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
4. **धारा 6क का संशोधन :-** मूल अधिनियम की धारा 6क में आए "पचास हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
5. **धारा 8 का संशोधन :-** मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में आए "चार लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर "आठ लाख रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
6. **धारा 9 का संशोधन :-** मूल अधिनियम की धारा 9 में आए "सात हजार पाँच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

भरत पाराशर, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

F.14 (69)/LA-2020/dsAdvice/112-120—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 14th February, 2023 and is hereby published for general information:-

"THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION, ETC.) (AMENDMENT) ACT, 2023"

(DELHI ACT NO. 04 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th July, 2022).

[9th March, 2023]

An Act further to amend the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) Act, 1994.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.**-(1) This Act may be called the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 3.** – In the Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) Act, 1994, (Delhi Act 06 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3, –

- (a) in sub-section (1)-
 - (i) for the words “*twelve thousand rupees*”, the words “*thirty thousand rupees*”, shall be substituted;
 - (ii) for the words “*one thousand rupees*”, the words “*one thousand five hundred rupees*”, shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the words “*eighteen thousand rupees*”, the words “*twenty five thousand rupees*”, shall be substituted;
- (c) in sub-section (3), for the words “*six thousand rupees*”, the words “*ten thousands rupees*”, shall be substituted;
- (d) in sub- section (4), for the words “*ten thousand rupees*”, the words “*fifteen thousand rupees*”, shall be substituted;
- (e) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely.-

“(5) *There shall be paid to each Member a sum of rupees one lakh as one time allowance for purchase of laptop, personal computer, printer, mobile handset etc. for each term of office.*”.

3. **Amendment in section 6.** – In the principal Act, in section 6, for the words “*eight thousand rupees*”, the words “*ten thousand rupees*”, shall be substituted.

4. **Amendment in section 6A.**– In the principal Act, in section 6A, for the words “*fifty thousand rupees*”, the words “*one lakh rupees*”, shall be substituted;

5. **Amendment in section 8.** – In the principal Act, in section 8, in sub-section (1), for the words, “*four lakh rupees*”, the words “*eight lakh rupees*”, shall be substituted.

6. **Amendment of section 9.** – In the principal Act, in section 9, for the words “*seven thousand five hundred rupees*”, the words, “*fifteen thousand rupees*”, shall be substituted.

BHARAT PARASHAR, Principal Secy. (Law, Justice & Legislative Affairs)